संख्या-205/2015/916आ.न.यो./9-8-15-12(13)आ.न.यो./2010

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 09 जुलाई, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर पंचायत-केमरी, जनपद-रामपुर को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत-केमरी, जनपद-रामपुर को वित्तीय वर्ष 2012-13 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासनादेश संख्या-17/9-8-2013-1(4)आ.न.यो./12 दिनांक 30.01.2013 द्वारा रूपये 100.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था। निकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, केवल भुगतान किया जाना अवशेष है। अतः जनहित में उपयोगिता अवधि बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत नगर पंचायत-केमरी, जनपद-रामपुर को विशेष परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2012-13 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 30.01.2013 द्वारा स्वीकृत घनराशि रूपये 100.00 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि किसी भी दशा में इसके आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय इस अवधि में प्रत्येक दशा में पूर्व में स्वीकृत किये गये कार्य का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें तथा स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-205/2015/916(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, रामपुर उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-केमरी, जनपद-रामपुर ।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in